
LI.b. 2semester Legal history.



क्षेत्रीय अधिकार (Territorial Jurisdiction)

दीवानी (Diwani) ्रोबेट (Probate)

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड

(Court of Record)

1726 का राजपत्र : मेयर न्यायालय की स्थापना 1726 Charter : Establishment of Mayor's Court

सन् 1726 ई. का भारत के वैधानिक इतिहास में न्याय व्यवस्था के लिए एक नयी व्यवस्था का सूत्रधार था। कम्पनी को भारत में व्यापार करते हुए 125 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इन वर्षों में व्यापार के विस्तार के साध-साध कम्पनी ने बस्तियाँ भी स्थापित कर लीं, जिन्हें प्रेसीडेन्सी कहा गया (मद्रास, बोम्बे व कलकता)। इन तीनों प्रेसीडेन्सियों के सामान्य प्रशासन के साथ ही कम्पनी ने अपना न्याय प्रशासन भी स्थापित कर लिया था।

इन तीनों प्रेसीडेन्सियों की भौगोलिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों व विकास के चरण बिल्कुल एक-दूसरे से भिन्न थे। यही कारण रहा कि वहाँ पर स्थापित न्याय- व्यवस्था के उद्गम व विकास में भी भिन्नता थी। तीनों प्रेसीडेन्सियों की न्याय व्यवस्था असमान, असन्तोषप्रद व अव्यवस्थित थी। निर्णयों में भी सुनिश्चितता नहीं थी। कम्पनी को अपने व्यापार के और विस्तार के लिये व भारतीयों का विश्वास प्राप्त करने के लिए तीनों प्रेसीडेन्सी में एक सुदढ़, सुव्यवस्थित, सुनिश्चित व समरूपी न्याय व्यवस्था की आवश्यकता थी।

कम्पनी ने इंग्लैण्ड के तत्कालीन सम्राट् जार्ज प्रथम से अनुरोध किया कि वह उन्हें एक राजपत्र प्रदान करें, जिसके द्वारा, इन तीनों प्रेसीडेन्सी में एक समरूपी, सुदृढ़, सुनिश्चित व सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था स्थापित की जा सके।

24 सितम्बर, 1726 ई. में इंग्लैण्ड के सम्राट् जार्ज प्रथम ने कम्पनी को एक राजपत्र प्रदान किया। डा. एम.पी. जैन के शब्दों में, इस राजपत्र ने तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में न्यायिक संस्थाओं के विकास की दिशा में एक नया पृष्ठ खोल दिया।

डॉ. एम.पी. जैन¹ का ही कहना है कि—प्रेसीडेन्सी नगरों की तत्कालीन न्याय व्यवस्था केवल ब्रिटिश नागरिकों के लिए थी। लेकिन कालान्तर में इस न्याय व्यवस्था का विस्तार भारतवासियों के लिए कर दिया गवा। यह बात अलग है कि यह न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से ब्रिटिश विधि व्यवस्था के अनुरूप थी।

(The judicial system at the Presidency towns was designed primarily to administer justice to the Englishmen. But with the passage of time, the Indian made in the judicial system with a view to provide for the administration of justice to these people as well.)

^{1.} Outlines of Indian Legal & Constitutional History

इसके द्वारा तीनों प्रेसीडेन्सियों में एक सुव्यवस्थित, सुदृढ, सुनिश्चित न्वाय व्यवस्था की स्थापना की, साथ ही इसका उत्तरोत्तर विकास भी एक समान रूप से कुछ विभिन्नता लिये हुआ था।

इसके द्वारा तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में 1726 ई. से पूर्व न्याय व्यवस्था की समाप्त करके नयी न्याय क्ष्यवस्था प्रारम्भ की गई।

1726 ई. के राजपत्र को प्रदत्त करने की आवश्यकताएँ

- (1) कम्पनी के व्यापार का विस्तार काफी तेजी से हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी। कम्पनी को लोगों को स्थापित करने तथा नगर की व्यवस्था एवं प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए 1687 ई. के कम्पनी के राजपत्र द्वारा मद्रास में स्थापित नगर निगम की तरह ही तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में उसी तरह की व्यवस्था की आवश्यकता हुई।
- (2) तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में एक सुनिश्चित, स्पष्ट, समरूपी व प्रभावशाली दीवानी व आपराधिक न्याय व्यवस्था की आवश्यकता।
- (3) तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों की न्याय व्यवस्था को इंग्लैण्ड की न्याय व्यवस्था के समान स्तर पर लाने की आवश्यकता। 1726 ई. से पूर्व तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों की न्याय व्यवस्था का स्तर इंग्लैण्ड की न्याय व्यवस्था के समकक्ष नहीं था। इंग्लैण्ड में सम्राट् को न्याय का स्रोत माना जाता था। इंग्लैण्ड के सभी न्यायालयों का उद्गम सम्राट् के द्वारा प्रदत्त किये राजपत्रों के द्वारा होता था। इन्हें शाही न्यायालय माना जाता था। कम्पनी द्वारा तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में स्थापित न्यायालयों का उद्गम कम्पनी द्वारा प्रदत्त अधिकारों द्वारा कम्पनी कराती थी। इसलिये इन दोनों न्यायालयों का स्तर समकक्ष नहीं था। तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में भी शाही न्यायालयों की आवश्यकता हुई।
- (4) वसीयत सम्बन्धित वादों को व तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों के न्यायालयों के निर्णयों को इंग्लैण्ड में मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता कम्पनी के न्यायालयों को वसीयत सम्बन्धित वादों में निर्णय देने का अधिकार नहीं था। साथ ही कम्पनी के न्यायालयों द्वारा दिये गये न्यायालयों को इंग्लैण्ड में मान्यता प्रदान नहीं की जाती थी, जिसके कारण कम्पनी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। कम्पनी को आवश्यकता हुई कि वह ऐसे न्यायालयों की स्थापना करे। तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में जिनको वसीयत सम्बन्धित वादों में निर्णय देने का ज इनके द्वारा दिये गये निर्णयों को इंग्लैण्ड में मान्यता प्रदान हो सके।

1726 ई. के राजपत्र की मुख्य विशेषताएँ

- 1. सामान्य प्रशासन—तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में सुचारु व प्रभावशाली प्रशासन के लिये मेयर निगम की स्थापना की गई।
- 2. न्याय प्रशासन में समरूपता—भारत में मेयर न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान। इन न्यायालयों को तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में स्थापित करने का प्रावधान था। सर्वप्रथम इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई बाद में बोम्बे व मद्रास में। इनकी संगठन (composition) न्याय प्रणाली व सारी व्यवस्था समान थी, यहाँ तक की इनका उत्तरोत्तर विकास भी बहुत कुछ समान ही हुआ।
- 3. शाही न्यायालयों की स्थापना—1726 ई. से पूर्व स्थापित न्यायालय कम्पनी ने अपने अधिकार-पत्र द्वारा स्थापित किये थे, जबकि 1726 ई. के द्वारा स्थापित मेयर न्यायालयों की स्थापना शाही राजपत्र के दारा की गई थी।
- मेयर न्यायालयों का स्तर—इंग्लैण्ड के न्यायालयों के समकक्ष हो गया; क्योंकि दोनों न्यायालयों को वसीयत सम्बन्धित वादों में निर्णय देने का अधिकार था। मेयर न्यायालयों का अधिकार व अंग्रेजों व निवासियों

के न्यायालयों के उद्गम का स्रोत इंग्लैण्ड के सम्राट् थे। इसलिये मेयर न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को भी इंग्लैण्ड में मान्यता प्रदान की जाने लगी।

- 5. न्यायालयों से अपील-भारत से प्रीवी कॉन्सिल (इंग्लैण्ड में) की जाने की व्यवस्था—1726 ई. से पूर्व भारत के न्यायालयों से इंग्लैण्ड भेजने की व्यवस्था नहीं थी। 1726 ई. के राजपत्र के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि यहाँ के न्यायालयों से अपील इंग्लैण्ड में प्रीवी कौन्सिल में की जाने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व 1947 ई. तक बनी रही।
- 6. राज्यपाल व परिषद् को विधि बनाने का अधिकार—अभी तक कानून इंग्लैण्ड से कम्पनी के द्वारा बना कर भेजे जाते थे; परन्तु 1726 ई. के राजपत्र में प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक प्रेसीडेन्सी नगर का राज्यपाल व परिषद् विधि का प्रारूप बनाकर इंग्लैण्ड भेज सकती थी।
- 7. भारत में समान रूप से अंग्रेजी विधि का प्रसार—इस राजपत्र में स्पष्ट रूप से भारत में अंग्रेजी विधि के प्रसार के लिए कुछ नहीं कहा गया था। परन्तु भारत से इंग्लैण्ड की प्रीवी कौंन्सिल के अपील के प्रावधान व इस राजपत्र द्वारा इंग्लैण्ड की संसदीय व्यवस्थाओं, न्याय व साम्या के सिद्धान्तों को भारत में समान रूप से तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में लागू कर दिया गया है। इससे पूर्व निम्न विधियों के द्वारा प्रेसीडेन्सी नगरों में अंग्रेजी विधि को लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी विधि के सामान्य रूप से लागू होने की तिथि 1726 ई. का राजपत्र को ही माना गया।

इसलिये इस राजपत्र को भारत में अंग्रेजी विधि के सामान्य रूप से प्रसार का सेतु भी कहा जा सकता है।

1726 ई. के राजपत्र में विशेषताओं के साथ कुछ दोष भी विद्यमान थे-

- (1) मेयर न्यायालयों के न्यायाधीश कानून से अनिभन्न व्यापारी वर्ग से थे। विधि का ज्ञान नहीं होने से उनसे न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।
- (2) न्यायपालिका को प्रशासन के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं रखा जा सका। फौजदारी, न्याय, प्रशासन राज्यपाल व उसकी परिषद् के हाथों में था तथा मेयर न्यायालय से प्रथम अपील सपरिषद् राज्यपाल के पास भेजी जाती थी।

1726 ई. के राजपत्र के विशेष प्रावधान

- (1) प्रशासनिक प्रावधान (Administrative Provisions) मेयर निगम की स्थापना
- (2) न्यायिक प्रावधान (Judicial Provisions) दीवानी व आपराधिक न्याय व्यवस्था मेयर न्यायालय व त्रैमासिक सत्र न्यायालय।
- (3) वैधानिक प्रावधान (Legislative Provisions)
- (i) प्रशासनिक प्रावधान (Administrative Provision)—मेयर निगम की स्थापना प्रेसीडेन्सी नगरों के प्रशासन को सुचारु रूप व सुव्यवस्थित चलाने के लिए मेयर निगम की स्थापना की गई।

निगम की संरचना (Composition of Corporation)—तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में 1687 ई. में कम्पनी द्वारा मद्रास में स्थापित मेयर निगम के आधार पर मेयर निगमों की स्थापना की गई।

इसमें एक मेयर व नौ ऐल्डरमेन थे। प्रथम मेयर व सभी ऐल्डर मेन की नियुक्ति 1726 ई. के राजपत्र द्वारा ही कर दी गयी थी। मेयर—मेयर, मेयर निगम का अध्यक्ष होता था। मेयर का पद अंग्रेज ही प्राप्त कर सकता था। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता था। रिक्त स्थान की पूर्ति पूर्व मेयर व ऐल्डरमेन अंग्रेज वरिष्ट ऐल्डरमन (जो अंग्रेज होते थे) में से चुनाव द्वारा की जाती थी। पूर्व मेयर ऐल्डरमेन की तरह मेयर निगम में रह सकता था।

ऐल्डरमेन —नौ ऐल्डरमेन में से सात ऐल्डरमेन अंग्रेज होने आवश्यक थे, जबिक बाकी दो ऐल्डरमेन ऐसी स्थानीय राजा या उनकी प्रजा के होने चाहिये थे, जिनकी दोस्ती इंग्लैण्ड के सम्राट् से हो। ऐल्डरमेन का पद जीवन पर्यन्त या जब तक वह उस प्रेसीडेन्सी नगर का निवासी हो तब तक रह सकता था। ऐल्डरमेन के रिक्त स्थान की पूर्ति मेयर व बाकी बचे हुए ऐल्डरमेन नगर के प्रमुखों में से उस वर्ग में से करते थे जिस वर्ग का पद रिक्त हुआ हो।

राज्यपाल सपरिषद् का संरक्षित अधिकार—

सपरिषद् राज्यपाल को अधिकार था कि वह मेयर व ऐल्डरमेन को पद से हटा सकते थे। यदि उनके पास उसने अपने पद के दुरुपयोग किया हो व उसका उचित प्रमाण प्राप्त हो।

प्रिवी कॉन्सिल की अपील—पदमुक्त किये गये मेयर या ऐल्डरमेन को अधिकार दिया गया था कि वे सपरिषद् राज्यपाल के निर्णय से उत्पन्न वाद की अपील प्रिवी कौन्सिल को जा सकती थी।

- (ii) न्यायिक प्रशासन के प्रावधान (Provisions for Judicial Administration)—न्यायिक प्रशासन को दो भागों में विभक्त किया गया—
 - (1) दीवानी न्याय प्रशासन
 - (2) आपराधिक न्याय प्रशासन
 - (1) दीवानी न्याय प्रशासन (Civil Administration of Justice)
- (अ) मेयर न्यायालय की स्थापना (Mayor Court)—मेयर न्यायालय की स्थापना मेयर न्यायालय मेयर निगम का ही एक हिस्सा था।

मेयर न्यायालय की संरचना—मेयर न्यायालय में एक मेयर नी ऐल्डरमेन व एक शेरीफ होते थे।

शेरीफ—मेयर न्यायालय के लिये एक शेरीफ की नियुक्ति की गई थी। इसकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए राज्यपाल व परिषद् द्वारा की जाती थी। इसका कार्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त सम्मन व डिग्नियों का निष्पादन करना था।

इसका क्षेत्रधिकार प्रेसीडेन्सी नगर की सीमा के 10 मील के बार्डर तक था।

न्यायालय का क्षेत्रधिकार—प्रेसीडेन्सी फैक्ट्री व उसके अधीनस्थ न्यायालय को दो प्रकार के वादों पर क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था।

- (अ) दीवानी व (अ) वसीयत सम्बन्धित
- (अ) दीवानी क्षेत्राधिकार—न्यायालय को सभी दीवानी वादों पर बिना किसी मूल्यांकन के क्षेत्राधिकार प्राप्त था। वह छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा दीवानी वादों में निर्णय दे सकता था।

न्यायालयों से अपील—मेयर न्यायालय से प्रथम अपील राज्यपाल व परिषद् को की जाने की व्यवस्था थी। यह मेयर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की तिथि से 14 दिन के अन्दर की जानी थी। दूसरी अपील यदि वादे का मूल्यांकन 1000 पेगोड़ा से अधिक होता था तो राज्यपाल व परिषद् के निर्णय प्रदान करने की तिथि से 14 दिन के अन्दर प्रीवी कौंन्सिल (इंग्लैण्ड) को की जा सकती थी।

मेयर न्यायालय में प्रयोग होने वाली विधि—किसी विशेष विधि के प्रयोग करने का प्रावधान नहीं किया गया था। निर्णय न्याय एवं औचित्य के आधार पर किये जाते थे। न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकार्ड—मेयर न्यायालयों को वादों की सुनवाई व निर्णयों का पूर्ण विवरण रखना पहता था तथा इसे प्रत्येक वर्ष कम्पनी को इंग्लैण्ड भेजना जरूरी होता था। न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय को दोषी व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार था।

मेयर न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया—सामान्यतया न्यायालय द्वारा अंग्रेजी प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाता था, सबसे पहले लिखित वाद पत्र न्यायालय में दर्ज किया जाता था। वादी को

संशपथ यह लिखकर देना पड़ता था कि प्रतिवादी पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

इस आधार पर न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया जाना था। इसमें वाद का आधार संक्षेप में दिया गया होता था। साथ ही वाद की सुनवाई की तिथि समय, स्थान का भी विवरण दिया जाता था। सम्मन की तामील शेरीफ द्वारा की जाती थी, सम्मन की तामील के बाद नियमित तिथि व समय पर प्रतिवादी द्वारा उपस्थित नहीं होने पर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता था। जमानत लेने का अधिकार मेथर न्यायालय को प्राप्त था। कार्यवाही खुले न्यायालय में बिना जूरी की सहायता से की जाती थी।

आपराधिक न्याय प्रशासन—आपराधिक न्याय प्रशासन पूर्ण रूप से अंग्रेजी इंग्लैण्ड की आपराधिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। त्रैमासिक सत्र न्यायालय: जूरी (grand + petty) + शांति के न्यायाधीश।

ग्रान्ड तथा पेटी त्रैमासिक सत्र न्यायालय—राज्यपाल एवं उसके परिषद सदस्यों द्वारा त्रैमासिक सत्र न्यायालय का गठन किया जाता था। ये सभी शांति के न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे। यह न्यायालय तीन महीने में एक बार व एक वर्ष में चार बार बैठता था। इसे ऑयर टर्मिनर व जेल डिलिवरी के न्यायालय का स्तर प्रदान किया गया था।

ऑयर व टर्मिनर (Oyer Terminor and Jail delivery) इंग्लैण्ड के सभी आपराधिक न्यायालयों द्वारा सभी प्रकार के आपराधिक वार्दों की सुनवाई की जाती थी चाहे वह हत्या के पुराने या नये वाद हों। जेल डिलिवरी में न्यायालय जेल में जाकर उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे, जिनमें अपराधियों को पहले से ही जेल में रखा गया हो।

राजद्रोह एवं अन्य जघन्य अपराधों पर मेयर न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं था।

शांति के न्यायाधीश —राज्यपाल तथा उसकी परिषद् के सभी सदस्यों को शांति का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इनका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखना था। शिकायत दर्ज होने पर मामले की छानबीन करके अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिये वारण्ट जारी करा सकते थे। अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देते थे या बन्दीगृह में बन्द रखते थे जब तक की सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं हो जाता था। साधारण मामलों में इन्हें निर्णय देने का अधिकार था। गम्भीर वादों में सभी शांति के न्यायाधीशों को निर्देश था कि वे साक्ष्य सहित सारी रिपोर्ट त्रैमासिक सत्र न्यायालय को भेज दें। इन सारे अधिकारों का प्रयोग वे अकेले कर सकते थे।

जूरी का प्रयोग—आपराधिक वादों की सुनवाई ग्रान्ड एवं पेटी जूरी के द्वारा की जाती थी।

निर्णय की विधि—अंग्रेजी विधि प्रक्रिया का प्रयोग किये जाने का निर्देश दिया गया था राजपत्र में।

न्यायालय की प्रक्रिया व निर्णयों का विवरण कम्पनी को प्रति वर्ष भेजना अनिवार्य था। अंग्रेजी प्रक्रिया
व विधि से भारतीयों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि भारतीय इससे अनिभन्न थे और
न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधि व प्रक्रिया भारतीयों की विधि व प्रक्रिया से भिन्न थी।

इस प्रकार राजपत्र द्वारा आपराधिक न्याय प्रशासन में अंग्रेजी आपराधिक न्याय प्रशासन की सारी जटिल प्रक्रियाओं व विधि को भारत में स्पष्ट रूप से लागू कर दिया गया।

(iii) वैधानिक प्रावधान—वैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत इस राजपत्र द्वारा विधि बनाने का आंशिक अधिकार भारत के प्रेसीडेन्सी नगरों को प्रदान किया गया। 1726 ई. से पूर्व सारी विधियाँ कम्पनी के द्वारा इंगलैण्ड

इंग्लैण्ड में इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जा सकती थी। समय-समय पर इन्हें कई अधिकार प्रदान किए जाते रहे।

में बनाई जाती थीं और उन्हें यहाँ लागू कर दिया जाता था। प्रेसीडेन्सी नगरों के सपरिषद राज्यपाल बार-बार कम्पनी से अनुरोध करती थी कि एक समान विधियाँ इन प्रेसीडेन्सी नगरों में प्रयोग नहीं की जा सकती थीं क्योंकि इन तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों की भौगोलिक व ऐतिहासिक परिस्थितियाँ एक-दूसरे से मिन्न थीं। आवश्यकता थीं कि प्रत्येक प्रेसीडेन्सी नगर अपनी परिस्थितियों के अनुसार विधि का निर्माण कर सके। इस राजपत्र द्वारा इन्हें अधिकार दिया गया कि वे अपनी परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक विधियों का प्रारूप बना कर इंग्लैण्ड कम्पनी के पास भेज दे। उपनियम, अध्यादेश बनाने का अधिकार आंशिक रूप में प्रदान किया गया था। इस पर दो प्रकार के नियन्त्रण थे (1) ये अंग्रेजी विधि के प्रतिकृल नहीं होने चाहिये थे। (2) ये कानून का रूप धारण नहीं कर सकते थे जब तक की कम्पनी के डायरेक्टरों द्वारा इन्हें लिखित रूप में अनुमोदित नहीं कर दिया जाता था। पहली बार विधि बनाने का अधिकार इंग्लैण्ड से भारत में हस्तांतरित हो सका; 1726 ई. के राजपत्र के द्वारा।

मेयर न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद—1726 ई. के राजपत्र द्वारा स्थापित होने के कारण से मेयर न्यायालय को शक्तियाँ व अधिकार ब्रिटिश सम्राट् के द्वारा प्राप्त हुये थे। तीनों प्रेसीडेन्सीज के मेयर न्यायालयों ने निर्भीक व स्वतंत्र रूप से अपना कार्य प्रारम्भ किया। 1687 में स्थापित न्यायालय सपिरवट् राज्यपाल नियन्त्रण में कार्य करते थे। 1726 ई. द्वारा स्थापित न्यायालयों की कार्यप्रणाली बिल्कुल भिन्न थी। उनके ऊपर सपिरवट् राज्यपाल का नियन्त्रण नहीं था। राज्यपाल व परिषद् व मेयर न्यायालयों के बीच तनाव उत्पन्न होने लगे। यही नहीं इनकी स्वतंत्र व निर्भीक कार्य प्रणाली के कारण देशी भारतीयों व जर्मीदारी न्यायालयों के बीच में भी तनाव उत्पन्न होने लग गये। तीनों प्रेसीडेन्सिज न्यायालयों द्वारा निर्णीत कुछ वाद।

बोम्बे प्रेसीडेन्सी—(1) धर्म परिवर्तन का वाद (1730)—एक शिम्पी जाति (हिन्दू) की महिला ने अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया। इससे नाराज होकर उसका 12 वर्षीय बेटा अपने रिश्तेदार के पास रहने चला गया। महिला ने मेयर न्यायालय में वाद दायर किया कि उसके रिश्तेदारों से उसके पुत्र को व उसके गहनों को वापस दिलाया जाये। मेयर न्यायालय ने महिला के पक्ष में निर्णय देते हुए निर्णवत् किया कि रिश्तेदार उसके पुत्र व उसके गहने वापस उसे दे दे। इस निर्णय से हिन्दुओं में आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने राज्यपाल व परिषद् को इस निर्णय के विरोध में अपील की। अपील में राज्यपाल परिषद् ने निर्णय दिया कि यह धर्म सम्बन्धित वाद है, धर्म व जाति सम्बन्धित विवाद सुनने का क्षेत्राधिकार मेयर न्यायालय को नहीं है। मेयर न्यायालय इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं थे। उसका मत था कि उक्त वाद का क्षेत्राधिकार उसके पास था; क्योंकि 1687 स्थापित मेयर न्यायालयों को इस प्रकार के वादों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। हिन्दू जाति के मुखिया मेयर न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होंगे।

(2) अरब व्यापारी का वाद—एक अरब व्यापारी के जहाज में गुजरात के तट पर आग लग गई। जिसे कुछ लोगों ने मिलकर बुझाई। अरब व्यापारी के जहाज से कुछ कीमती जवाहरात गायब हो गये।

अरब व्यापारी ने आग बुझाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध (सपरिषद् राज्यपाल) (सत्र न्यायालय) के न्यायालय में समुद्री डाके का वाद दायर किया। सत्र न्यायालय ने इस वाद को झूठ मानते हुए खारिज कर दिया।

व्यापारी ने मेयर न्यायालय में उन जवाहरात का हर्जाना मांगते हुए आग बुझाने वाले व्यक्तियों पर दीवानी वाद दावर कर दिया। मेयर न्यायालय ने हर्जाने के लिए डिग्री दे दी। इसके विरोध में व्यक्तियों ने सपरिषद् राज्यपाल के न्यायालय में अपील दायर कर दी। सपरिषद् राज्यपाल ने मेयर न्यायालय को लिखा कि यह वाद पहले से ही ऊँची न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है इसलिये मेयर न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। मेयर न्यायालय का कहना था कि सन्न न्यायालय द्वारा सुना गया वाद आपराधिक प्रवृत्ति का था जब की मेयर न्यायालय के द्वारा सुना गया वाद दीवानी प्रवृत्ति का है इसलिये मेयर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

राज्यपाल व परिषद् ने मेयर न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। इस वाद से बोम्बे की सपरिषद् राज्यपाल व मेयर न्यायालय के सम्बन्ध बिगड़ गये।

मद्रास प्रेसीडेन्सी व मेयर न्यायालय—बोम्बे की तरह मद्रास में भी मेयर के न्यायालय सपरिषद् राज्यपाल के बीच में तनाव हुए (1) संकूराम का वाद—ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने संकूराम नामक देशी भारतीय के खिलाफ संविदा भंग का वाद मद्रास के मेयर न्यायालय में दायर किया। परिषद् राज्यपाल जो मेयर न्यायालय से अपील की भी भंग का वाद मद्रास के मेयर न्यायालय में दायर किया। परिषद् राज्यपाल जारी करने को कहा; परन्तु न्यायालय सुनवाई करते थे। मेयर न्यायालय को संकूराम के खिलाफ तुम्न वारण्ट जारी करने को कहा; परन्तु न्यायालय सुनवाई करते थे। मेयर न्यायालय को संकूराम के खिलाफ तुम्न विकास को आदेश दिया कि वह मेयर एवं ऐल्डरमेन ने कार्यवाही करने में देरी की। सपरिषद् राज्यपाल ने कम्पनी के वकील को आदेशों का पालन नहीं किया। के विरुद्ध वाद दायर करें कि उन्होंने अपील न्यायालय (सपरिषद् राज्यपाल) के आदेशों का पालन नहीं किया।

अतः कम्पनी के वकील ने अपने परिवाद में मेयर व ऐल्डरमेन पर आरोप लगाया (1) कम्पनी के हित के विरुद्ध (2) न्याय प्रशासन के विरुद्ध व (3) 1726 ई. के राजपत्र के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य किया था। उत्तर के रूप में कहा गया था कि सपरिषद् राज्यपाल का न्यायालय के सदस्य प्रशासक भी थे इसलिये उनका हित भी इस वाद में निहित था। मद्रास में भी सपरिषद् राज्यपाल व मेयर न्यायालय के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया।

(2) तेरियानी का वाद—क्या मेयर न्यायालय मेयर के विरुद्ध वाद सुन सकता है? तेरियानी मट्रास सपरिषद् राज्यपाल का सदस्य था। उसने मेयर नेश के साथ शर्त लगाई। मेयर नेश शर्त हार गये। तेरियानी ने शर्त की रकम मांगी। नेश ने रकम देने से इंकार कर दिया, तेरियानी ने नेश के विरुद्ध मेयर न्यायालय में वाद दायर कर दिया। मेयर नेश जो मेयर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी थे। मेयर के विरुद्ध वाद सुनने से इंकार कर दिया। यह कहकर कि मेयर के खिलाफ मेयर न्यायालय में वाद नहीं चलाया जा सकता।

शपथ का वाद (पेगोडा शपथ)—1726 ई. के उपबन्धों के द्वारा न्यायालयों को शपथ पूर्ण बयान लेना आवश्यक था। मद्रास में प्रचलित व्यवस्था के तहत शपथ गीता की ली जाती थी। कुछ भारतीयों ने पेगोडा की शपथ लेने से इंकार कर दिया। मेयर न्यायालय ने इसे आपराधिक कार्यवाही मानते हुए उन्हें जेल भेज दिया। मद्रास राज्यपाल के पास शिकायत की। राज्यपाल ने इस निर्णय में हस्तक्षेप करके उन व्यक्तियों को जेल से रिहा कर दिया तथा मेयर न्यायालय को निर्देश दिये कि भारतीयों के धार्मिक संस्कारों व रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करें; परन्तु उनका सम्मान अवश्य करें।

1726 के राजपत्र के प्रावधानों के निर्वाचन का वाद—मेयर न्यायालय का दावा था कि उसको 1726 के राजपत्र के प्रावधानों को निर्वाचन करने का पूर्ण अधिकार है। संपरिषद् राज्यपाल ने इसका विरोध किया।

- (1) मेयर का पुन: चुनाव—1726ई. के राजपन्न में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। मेयर न्यायालय की मान्यता थी कि मेयर पुन: चुनाव लड़ सकता है; परन्तु सपरिषद् न्यायालय इसे नहीं मानती थी। मेयर नेश दुबारा मेयर का चुनाव जीत गये। सपरिषद् राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाने से इंकार कर दिया।
- (2) न्यायालय के शुल्क का वाद—मेथर न्यायालय द्वारा दायर किये गये वादों से शुल्क वसूल किया जाता था। मेथर न्यायालय ने यह शुल्क खर्च कर दिया। मद्रास सरकार ने मेथर न्यायालय से इस शुल्क का हिसाब मांगा न्यायालय ने हिसाब देने से इंकार कर दिया।

कलकत्ता प्रेसीडेन्सी—कलकता भी मेयर न्यायालय के तनावपूर्ण स्थिति से बचकर नहीं रहा; परन्तु वहाँ की स्थिति बोम्बे व मद्रास के न्यायालयों से कुछ कम तनाव की रही। इसकी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी कलकत्ता में नहीं प्राप्त हो सकी।

- (1) जमींदारी न्यायालय व मेयर न्यायालय में तनाव।
- (2) मेयर न्यायालय व एटानीं के बीच तनाव।

मेयर न्यायालयों की कार्य प्रणाली से भारतीयों में इन न्यायालयों के प्रति आक्रोश पैदा हो गया। राज्यपाल व उसकी परिषदों ने भी भारतीयों का ही समर्थन किया। परिणामस्वरूप कार्य-परिषद् एवं मेयर न्यायालयों में तनाव और अधिक बढ़ गया।

भारतीयों के प्रति ज्यादती—1726 ई. के मेयर न्यायालय की व्यवस्था यूरोपवासियों के लिए की गई थी। भारतीयों के मामलों में हस्तक्षेप करने की मनाही भी की गई थी। परन्तु भारतीयों के लिए कोई वैकल्पिक न्याय व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिये मजबूरी में भारतीयों को भी मेयर न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी।

भेयर न्यायालय अंग्रेजी विधि के अनुसार भारतीयों के वादों को निर्णीत करता था। जिससे उनके प्रति अन्याय हो जाता था।

1687 ई. च 1726 ई. के राजपत्रों का तुलनात्मक अध्ययन

1726 ई. के राजपत्र का आधार 1687 ई. का राजपत्र था फिर भी इन दोनों राजपत्रों में कुछ मृतमृत अस्तर विद्यमान थे।

- (1) 1687 ई. के राजपत्र का स्रोत कम्पनी थी। 1726 ई. के राजपत्र का स्रोत इंग्लैण्ड के सम्राट जार्ज प्रथम थे।
- (2) 1687 ई. के राजपत्र का क्षेत्र सिर्फ मद्रास ग्रेसीडेन्सी नगर था। 1726 ई. का राजपत्र तीनों ग्रेसीडेन्सी नगरों मद्रास, बोम्बे व कलकत्ता के लिये समान रूप से था।
- (3) निगम की संरचना : 1687 के द्वारा स्थापित निगम में 1 मेयर 12 ऐलडरमेन व 69 से 120 बर्गेसीस थे।

1726 ई. के राजपत्र द्वारा स्थापित निगम में 1 मेयर व 9 ऐलंडरमेन थे।

ऐलडरमेन का वर्गीकरण—12 ऐलडरमेन में से 1687 ई. के राजपत्र में 3 अंग्रेज, 3 हिन्दू, 3 क्रांसीसी, 2 आर्मेनियम, 1 पुर्तगाली वर्ग से होते थे।

1726 ई. के राजपत्र में 9 ऐलडरमेन में से 7 अंग्रेज व 2 ऐसे राजा या राजा की प्रजा होते थे, जिनकी मैत्री इंग्लैण्ड के सम्राट् से थी।

1687 ई. का राजपत्र 1726 ई. के राजपत्र से ज्यादा विस्तृत था उसमें विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। न्यायालयों का स्तर 1687 ई. के राजपत्र कम्पनी के न्यायालय थे।

मेयर न्यायालयों की संरचना—1687 के राजपत्र द्वारा स्थापित न्यायालयों में मेयर 12 ऐलडरमेन व एक विधिवेता जिसे रिकार्डर कहा जाता था। 1726 ई. के राजपत्र द्वारा स्थापित न्यायालय में एक मेयर नौ ऐलडरमेन व एक शेरिफ होता था, जिसका कार्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त सम्मन व डिक्रियों का सम्पादन करना होता था। इस न्यायालय में किसी विधिवेता की नियुक्ति नहीं की गई थी।

न्यायालयों का न्यायाधिकार—1687 ई. में स्थापित न्यायालय को सभी प्रकार के दीवानी, आपराधिक धर्म संबंधित वादों पर न्यायाधिकार था।

1726 ई. में स्थापित न्यायालय को मात्र दीवानी व वसीयत संबंधित वादों पर न्यायाधिकार था। आपराधिक वादों के लिये अलग न्यायालय स्थापित किये गये थे।

निर्णयों में विधि का प्रयोग—1687 ई. में न्यायालय द्वारा साम्या न्याय व सद्भावना का नियम लागू किया जाता था।

1726 ई. में न्यायालय द्वारा अधिकार व न्याय के नियम का लागू करने का प्रावधान था।

न्यायालय से अपील—1687 ई. राजपत्र न्यायालय से अपील सामुद्रिक न्यायालय को की जानी थी। इंग्लैंग्ड प्रीची काउन्सिल को अपील नहीं भेजी जाती थी। 1726 ई. के राजपत्र में न्यायालय से पहली अपील गर्ज्याल व परिषद् को व 1000 पेग्प्रेड़ा से ज्यादा मूल्यांकन पर दूसरी अपील प्रिची कौन्सिल (इंग्लैंग्ड) भेजी वा सकती थी।

इस प्रकार यदि तुलना की जाये तो 1687 के राजपत्र में भेयर न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1726 के न्यायालय से विस्तृत था।